भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

असाधारण अपीलीय क्षेत्राधिकार

विशेष अनुमति याचिका (सी) की डायरी संख्या - 23683 / 2020

अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना के साथ

118393/2020- आवेदन दाखिल में हुई देरी को माफ करने के लिए आवेदन

118394/2020- आक्षेपित निर्णय का सी/सी दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन

118395/2020- अतिरिक्त दस्तावेज/तथ्य/अनुबंध दाखिल करने की अनुमति के लिए आवेदन

दिल्ली विकास प्राधिकरण .... **याचिकाकर्ता (ओं)/अपीलकर्ता**

बनाम

फूलवती और अन्य .... **प्रतिवादियों / उत्तरदाताओं**

सेवा में,

1. चंदर भान पुत्र दया राम,
निवासी सी-7, टाइप -3,
पुलिस कॉलोनी आर.के. पुरम,
जिला- नई दिल्ली, दिल्ली

पीआईडी: 100557/2021 R[4] के लिए
डायरी नं। 23683/2020
(धारा XIV)

2. श्री भगवान पुत्र बानी सिंह,
निवासी बी-1/55, बुद्ध विहार,
जिला- नई दिल्ली, दिल्ली

पीआईडी: 100558/2021 R[6] के लिए
डायरी नं। 23683/2020
(धारा XIV)

जबकि अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना के साथ विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर करने में देरी की माफी के लिए आवेदन, आक्षेपित निर्णय के C/C से छूट, अतिरिक्त दस्तावेजों/तथ्यों/उपाबंधों को दाखिल करने की अनुमति, ऊपर उल्लिखित याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से सुश्री आरती सिंह, अधिवक्ता द्वारा रजिस्ट्री में दायर उपरोक्त सेवा (प्रतिलिपि संलग्न) को 11 जनवरी, 2021 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जब न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा की थी :-

''विलम्ब को माफ करने के आवेदन के साथ-साथ विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करना, जिसे चार सप्ताह के भीतर वापस किया जा सकता है।

''इसके अलावा, दस्ती की अनुमति है।''

जबकि, उपर्युक्त मामले को एल.डी. रजिस्ट्रार के कोर्ट के समक्ष 02 सितंबर, 2021 को सूचीबद्ध किया गया था। जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया: -

डायरी संख्या - 23683/2020

प्रतिवादी संख्या 1,8,9,11 और 13 को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के अंतिम अवसर के रूप में चार सप्ताह का समय दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2,3,5,7,10 और 12 ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है लेकिन वह दोषपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 के अनुसार दोषों से निपटा जाए।

प्रतिवादी संख्या 4 और 6 के संबंध में प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन की अनुमति है। प्रकाशन का प्रमाण चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।

शेष उत्तरदाताओं पर सेवा पूर्ण है लेकिन किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। 21.10.2021 को फिर से सूची.

इसलिए, अब, ध्यान दें कि अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना के साथ उपरोक्त याचिका, दाखिल करने में देरी के लिए आवेदन के साथ, आक्षेपित निर्णय के सी/सी दाखिल करने से छूट, अतिरिक्त दस्तावेज/तथ्य/अनुलग्नक दाखिल करने की अनुमति सुनवाई के लिए पोस्ट की जाएगी। इस न्यायालय के समक्ष उचित समय पर और आप इस अदालत के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या इस अदालत के रिकॉर्ड पर एक वकील के माध्यम से नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर विधिवत रूप से आपके द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके बाद आप उस दिन अदालत को कारण बता सकते हैं जो बाद में निर्दिष्ट किया जा सकता है कि एसएलपी दाखिल करने में देरी को माफ क्यों नहीं किया जाता है और विशेष अनुमति याचिका और अंतरिम राहत की अनुमति नहीं दी जाती है और इसके परिणामस्वरूप अपील की अनुमति नहीं दी जाती है।

आगे ध्यान दें कि नोटिस के बाद अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना भी उचित समय में न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी।

आप आदेश XXI, S.C.R के नियम 14(1), 2013 के तहत प्रदान की गई याचिका के विरोध में अपना हलफनामा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर या सुनवाई के लिए नियत तारीख से 2 सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, दाखिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा केवल कानून के सवालों के विरोध में निर्धारित आधार या एसएलपी के आधार पर किया जाएगा तथा आप ऐसी दलीलों और दस्तावेज़ जो अदालत के समक्ष पहले दाखिल की गयी थी, जिनके आदेश के विरोध में एसएलपी दाखिल की गयी है, प्रस्तुत कर सकते हैं और अदालत अंतरिम आदेश न देने या पहले से ही दिए गए अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए आधार भी निर्धारित कर सकते हैं ।

आगे ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त रूप में उपस्थिति दर्ज करने में विफल रहते हैं, तो परिणामी अपील की सुनवाई के लिए विशेष अनुमति देने के बाद भी आपको कोई और नोटिस नहीं दिया जाएगा और आपकी अनुपस्थिति में उपरोक्त मामले का निपटारा किया जाएगा।

दिनांक: 08 सितंबर, 2021

हस्ता/-

सहायक रजिस्ट्रार

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट 'www.dda.org.in' देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें!